न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 70/2020

GCMS NO. : 2020/00125

–: वादीया :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. गोदावरीदेवी पत्नी मेगाराम जाति– बावरी निवासी– बलाडा, तहसील–जैतारण जिला–पाली।

बनाम

1. प्रकाश पुत्र बक्साराम
2. गोविन्द पुत्र बक्साराम
3. राखी पुत्री बक्साराम
4. कोशल्या पुत्र बक्साराम
5. ललिता पुत्री बक्साराम
6. सेणकी पत्नी बक्साराम
   जातियान– बावरी निवासीगण– बलाडा, तहसील–जैतारण जिला–पाली।
7. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण तहसील कार्यालय जैतारण जिला–पाली।
8. पटवारी, पटवार हल्का बलाडा तहसील जैतारण जिला–पाली।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.12/10/2020

उपस्थितः– 1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादीया।
2. तहसीलदार, जैतारण, पैरोकार राजस्थान सरकार।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 24/12/2021**

वकील मय वादीया ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बलाडा पटवार हल्का बलाडा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास (हाल भू.अ.नि. क्षेत्र बलाडा) तहसील जैतारण जिला पाली राज0 की सीमा मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 751 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल के खातेदार काश्तकार वादीया तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के पिता व प्रतिवादीगण संख्या 6 के पति बक्साराम पुत्र भंवरूराम जाति बावरी निवासी बलाडा थे जिनका हक हिस्सा व अधिकार उक्त कृषि भूमि में 1/3 का 1/3 वां हिस्सा यानि 1/9 वां हिस्सा था। जिसको आगे वादपत्र में विवादित आराजी के नाम विनिर्दिष्ट किया जायेगा। नकल चालू जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 की प्रमाणित प्रति साथ पेश है। विवादित आराजी के तत्कालीन खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 [illegible]ता व प्रतिवादीगण संख्या 1 के पति बक्साराम पुत्र भंवरूरा[illegible] हेतू एवं अन्य निजी जरूरत हेतू रूपये की आवश्यकत[illegible] अपने [illegible] अधिकार एवं खातेदारी की 1/9 हिस्से की भूमि मे [illegible] 42/59 वां हि[illegible]की भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.27 14:57:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

जरिये रजिस्टर्ड शैलडीड के प्रतिफल की राशि 12,000 अक्षरे बारह हजार रूपये वादीया से रोकड प्राप्त कर दिनांक 20/06/2014 को हस्तान्तरण कर दी और मौके पर कब्ज़ा सुपुर्द कर दिया, तब से लेकर आज दिन तक वादीया अपनी खरीद सुदा विवादित आराजी एवं वादीया की उक्त खसरा नम्बर की भूमि मे अपनी खातेदारी की भूमि पर बिना किसी रोकटोक के शांतिपूर्वक काबिज होकर उपयोग/उपभोग करती चली आ रही है। रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 20/06/2014 की प्रमाणित प्रतिलिपि इस वादपत्र के साथ पेश है। विवादित आराजी तत्कालीन खातेदार बक्साराम पुत्र भंवरूराम ने जरिये रजिस्टर्ड शैलडीड के वादीया को अपने हक हिस्से की भूमि में से 42/59 वां हक हिस्से को हस्तान्तरित कर दिया परन्तु राजस्व विभाग द्वारा बिना कोई आधार के एवं बिना सक्षम आदेश के सहवन से एवं भूल से पुनः बक्साराम पुत्र भंवरूराम के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या एक से छह के नाम म्युटेशन संख्या 3451 दिनांक 09/06/2017 को स्वीकृत कर दिया गया जो कि कानून की निगाह मे एक रोंग एन्ट्री है एवं अवैध व खिलाफ कानून है तथा वादीया के विरूद्ध निष्प्रभावी है। इसलिए म्युटेशन संख्या 3451 को निरस्त करने व वादीया के नाम राजस्व रेकर्ड मे माफिक रजिस्टर्ड बेचान दनिांक 20/06/2014 के आधार से बतौर खातेदारी इन्द्राज करवाने हेतू यह घोषणा का वादपत्र खिलाफ प्रतिवादीगण श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। म्युटेशन संख्या 3451 दिनांक 09/06/2017 की प्रमाणित प्रति साथ पेश है। वादीया ने वादग्रस्त आराजी के खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 7 भीमा पुत्र भंवरू से पूर्व मे उसके हक हिस्से की भूमि मे से 5/61 हिस्से की भूमि जरिये रजिस्टर्ड शेलडीड के खरीद की जिसके आधार पर म्युटेशन संख्या 3790 दिनांक 05/09/2019 को राजस्व रेकर्ड मे वादीया का नाम बतौर खातेदार के इन्द्राज किया गया था। परन्तु बक्सा पुत्र भंवरू से उसके हक हिस्से की भूमि मे से 42/59 वां हिस्सा वादीया ने जरिये रजिस्टर्ड शेलडीड के खरीद किया। जिसकी फोटो प्रति हल्का पटवारी को वादीया के नाम म्युटेशन पारित करने बाबत् दी थी परन्तु आज तक वादीया के नाम राजस्व रेकर्ड मे जरिये म्युटेशन के इन्द्राज नही किया गया और बाद में उक्त बक्सा पुत्र भंवरू का देहान्त होने पर वादीया द्वारा बक्सा पुत्र भंवरू से खरीद की गई भूमि मे भी बक्सा पुत्र भंवरू के वारिसान का नाम जरिये फौतेदगी म्युटेशन 3451 दिनांक 09/06/2017 को पारित कर दिया गया जो म्युटेशन संख्या 3451 अवैध व शून्य एवं वादीया के हक अधिकारों के विरूद्ध निष्प्रभावी होने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा म्युटेशन संख्या 3451 अपास्त/निरस्त करने एवं वादीया को बक्सा पुत्र भंवरू से खरीदसुदा कब्जासुदा हक अधिकार की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज [illegible] जाने बाबत् वादपत्र बाबत् घोषणा का पेश है। दिनांक 27/[illegible] को [illegible]ने प्रतिवादीगण को अपनी खरीदसुदा कृषि भूमि के [illegible] करवाने का कहने पर प्रतिवादीगण स्पष्ट इन्कार हुए एवं वादीया को ऐलानिया धमकी दी कि आपकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.27 14:57:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

खरीद सुदा कब्जा सुदा कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में हमारा नाम दर्ज हो गया है इसलिए आप उक्त भूमि से अपना कब्जा हटा ले अन्यथा आपको बेकाबिज कर विवादित आराजी को रहन, बेचान, हस्तान्तरण कर देगे तब वादीया ने अपनी खरीद सुदा खातेदारी की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड बाबत् पटवारी हल्का से जानकारी दिनांक 04/09/2020 को प्राप्त की तब सर्वप्रथम बार यह ज्ञात हुआ कि उक्त रजिस्टर्ड शैलडीड दिनांक 20/06/2014 के आधार से वादीया के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नहीं किया गया है और बक्साराम पुत्र भंवरूराम के फौत होने पर उनके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या एक से छह के नाम वादीया की खरीद सुदा कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि में अवैध व खिलाफ कानून बिना मौके एवं रेकर्ड की जांच किये फौतेदगी म्युटेशन के आधार पर गलत-गलत रोंग एन्ट्री का इन्द्राज कर दिया जिसका यदि प्रतिवादीगण नाजायज फायदा उठाकर अपने उक्त नापाक कृत्यो मे सफल हो जाते है एवं वादीया को उसके खातेदारी व खरीद सुदा एवं कब्जे काश्त तथा उपयोग/उपभोग की भूमि से बेदखल कर देते है एवं राजस्व रेकर्ड मे प्रतिवादीगण संख्या एक से छह का विधि विरुद्ध म्युटेशन संख्या 3451 के जरिये गलत एवं अवैध इन्द्राज के आधार पर उक्त भूमि का किसी अन्य को बेचान, हस्तान्तरण, रहन, वसीयत आदि कर देते है तो वादीया अपने खातेदारी हक हकूको एवं अधिकारो से हमेशा-हमेशा के लिये महरूम हो जायेगी एवं वादीया प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे अवैध कृत्यो का विरोध करेगी तो मौके पर वाद विवाद होगा एवं विविध प्रकार की मुकदमेबाजी तथा पेचीदगिया बढेगी इसलिए प्रतिवादीगण के ऐसे अवैध कृत्यो को रोकने के लिये वादीया के पास न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। प्रतिवादीगण संख्या 7 तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय जैतारण व प्रतिवादीगण संख्या 8 पटवारी पटवार हल्का बलाडा राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है इसलिए बिना नोटिस दिये वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् धारा 80 (2) सीपीसी का वादपत्र के साथ संलग्न है। बिनाय वाद दिनांक 27/08/2020 को वादीया द्वारा प्रतिवादीगण को अपनी खरीद सुदा कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड मे नाम दर्ज करवाने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट इन्कार होने व वादीया को मौके से बेदखल करने एवं विवादित आराजी को अन्य किसी को बैचान, हस्तान्तरण आदि करने की ऐलानिया धमकी देने व सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड की नकले दिनांक 04/09/2020 प्राप्त करने पर सर्व प्रथम बार यह जानकारी हुई कि उक्त रजिस्टर्ड शैलडीड के आधार से वादीया का नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज नही किया जाकर बक्साराम पुत्र भंवरूराम के फौत होने पर उनके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के नाम राजस्व रेकर्ड मे अवैध व गलत रूप [illegible] जानकारी होने पर लगातार बमुकाम बलाडा तहसील जैतारण [illegible] को उत्पन्न हुआ जो श्रीमान्

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.27 14:57:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार मे होने से वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 बाद सम्मन सूचना के न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

वकील वादीया ने वाद के समर्थन में साक्ष्य के शपथ पत्र P/W 01, P/W 02 पेश किया, दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये गये जो सा0मि0 है। बहस वकील वादी राजस्व वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी पर गौर कर मनन किया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. वादीया के अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 01 के पति बक्साराम द्वारा पारिवारिक प्रबंध व निजी जरूरत हेतु रूपये की आवश्यकता होने पर ग्राम बलाडा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 751 रकबा 03–01 बीघा में अपने हक अधिकार एवं खातेदारी की 1/9 हिस्से की भूमि में से 42/59 वां हिस्सा प्रतिफल प्राप्त कर जरिये पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 20/06/2014 के द्वारा वादीया को हस्तांतरित कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। वादीया ने अभिकथन किये कि विक्रेता बक्साराम के फौत होने पर प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 के नाम म्युटेशन संख्या 3451 दिनांक 09/06/2017 को स्वीकार कर दिया गया जो कि विधिविरूद्ध एवं वादीया के विरूद्ध निष्प्रभावी है। अतः म्युटेशन संख्या 3451 दिनांक 09/06/2017 को निरस्त किया जाकर वादीया को जरिये पंजीकृत बेचाननामे के क्रय की गई भूमि की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारी है। अतः वादीया को माफिक बेचाननामा क्रय–सुदा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

2. वादीया द्वारा बतौर साक्ष्य वादी स्वंय का शपथ–पत्र PW-1 एवं गवाह का शपथ–पत्र PW-2 पेश किये एवं निम्न दस्तावेज प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2069–2072, प्रदर्श–2 पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 20/06/2014, प्रदर्श–3 ना.सं. 3451 के इन्द्राज संबंधी नामांतरकरण रजिस्टर की सत्यापित प्रति व प्रदर्श–4 जमाबंदी संवत् 2069–2072 ग्राम बलाडा की सत्यापित प्रति प्रदर्श करवाये गये।

3. साक्ष्य वादी में प्रस्तुत प्रदर्श–1 ज[illegible] संवत् 2073–2076 में अंकित विरासत नामान्तरकरण [illegible] एवं प्रदर्श–3 नामांतरकरण पंजिका में दर्ज नामा[illegible]पित प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तत्कालीन खाते[illegible] बक्शा के फौत होने पर उनके

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.27 14:57:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 से 06 के पक्ष में दिनांक 09/06/2017 को फौतेदगी नामांतरकरण दर्ज किया गया। प्रदर्श–2 व 2ए पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 20/06/2014 के अनुसार ग्राम बलाडा तहसील जैतारण निवासी श्री बक्शा पुत्र भंवरू द्वारा क्रेता गोदावरी देवी पत्नी मेघाराम निवासी बलाडा को ग्राम बलाडा की तत्कालीन जमाबंदी संवत् 2069–2072 के खसरा नम्बर 751 रकबा 03–01 बीघा में वर्णित भूमि में बेचानकर्ता बक्शा पुत्र भंवरू के 1/9 हिस्से में से 42/59 वां हिस्से का विक्रय करते हुए कब्जा हस्तांतरित किया गया एवं उक्त वर्णित भूमि में बेचानकर्ता का कुल हिस्सा 1/9 में से 17/59 वां हिस्सा शेष रहा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि क्रेता/वादीया द्वारा वादग्रस्त आराजी क्रय कर लेने से उक्त हिस्से तक खातेदारी अधिकार वक्त क्रय से क्रेता अर्थात वादीया में निहित हो चुके है तथा ऐसे खातेदारी अधिकारों की घोषणा किया जाना विधि–संगत एवं उचित होगा।

4. साक्ष्य वादी के रूप में PW-1 गोदावरी पत्नी मेघाराम (वादीया स्वयं), PW-2 प्रकाश पुत्र गंगाराम जाति बावरी निवासी मेड़तासिटी रोड़, जैतारण तहसील–जैतारण द्वारा शपथ–पत्र पर वाद–पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि की। गवाह प्रकाश पुत्र गंगाराम ने अपने बयान में बेचान गवाह के रूप में वक्त पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 20/06/2014 में अपने उपस्थित रहने के कथन किये। पंजीकृत बेचाननामा प्रदर्श 2 व 2ए के पृष्ठ संख्या 4 के अवलोकन से गवाह प्रकाश पुत्र गंगाराम के उक्त कथन पुष्ट होते है।

5. वर्तमान भू–अभिलेख एवं वाद–पत्र के अनुसार वादग्रस्त आराजी का वाद–पत्र में वर्णित हिस्से का विक्रेता बक्शा फौत हो चुका है तथा भू–अभिलेख में इनके स्थान पर इनके वारिसान के नाम जरिये फौतेदगी नामान्तरण दर्ज हो चुके है, लेकिन चुंकि मृतक बक्शा द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपने हक–हिस्से की भूमि 1/9 हिस्से में से 42/59 वां हिस्सा वादीया को बेचान किया जा चुका था। अतः वादीया अपने उक्त खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की कानूनन अधिकारी है।

अतः उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अपने वाद–पत्र को भली–भाँति साबित करने में सफल रही है। अतः वाद वादी बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार करते हुए डिक्री किया जाना उचित एवं विधि–सम्मत होगा।

Signature Not Verified

—:आ[illegible]

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.27 14:57:21 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीया अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वादीया के पक्ष में बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

बलाड़ा पटवार हल्का बलाड़ा भू.अभि.निरीक्षक क्षेत्र बलाड़ा तहसील जैतारण जिला पाली राज. में स्थित खसरा नम्बर 751 रकबा 3-01 बीघा किस्म बारानी अव्वल में से मुताबिक पंजीकृत बेचाननामा खंख्या 2014002365 दिनांक 20/06/2014 के क्रेता/वादीया का खसरा संख्या 751 रकबा 3-01 बीघा में तत्कालीन खातेदार बक्शा/विक्रेता को संपूर्ण आराजी में 1/9 वां हिस्से में से 42/59 वां हिस्से का खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है तथा भू-अभिलेख से प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 का नाम उक्त क्रय किये गये हिस्से तक विलोपित किया जावे। विक्रेता बक्शा (तत्कालीन खातेदार) के उक्त 1/9 वां हिस्से में से शेष रहे 17/59 वां हिस्से में प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 के नाम यथावत रहेंगे। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 को जरीये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वह वादीया के हक-हिस्से में किसी प्रकार की बेजा दखलंदाजी नहीं करें तथा न ही वादीया को अपने खातेदारी उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करें। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि भू-अभिलेख में इसी मुताबिक अमल दरामद करें। इसी कदर वाद-पत्र वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-पाली (राज0)

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक **24/12/2021** को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-पाली (राज0)

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.27 14:57:21 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण**

बईजलास :– **श्रीमति मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0**

–: वादीया :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. गोदावरीदेवी पत्नी मेगाराम जाति– बावरी निवासी– बलाडा, तहसील–जैतारण जिला–पाली।		1. प्रकाश पुत्र बक्साराम 2. गोविन्द पुत्र बक्साराम 3. राखी पुत्री बक्साराम 4. कोशल्या पुत्र बक्साराम 5. ललिता पुत्री बक्साराम 6. सेणकी पत्नी बक्साराम जातियान– बावरी निवासीगण– बलाडा, तहसील–जैतारण जिला–पाली। 7. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण तहसील कार्यालय जैतारण जिला–पाली। 8. पटवारी, पटवार हल्का बलाडा तहसील जैतारण जिला–पाली।

मु0न0 :रा0वा0 स0: 70/2020

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादीया मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार जैतारण, सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीया अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वादीया के पक्ष में बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बलाड़ा पटवार हल्का बलाड़ा भू.अभि.निरीक्षक क्षेत्र बलाड़ा तहसील जैतारण जिला पाली राज. में स्थित खसरा नम्बर 751 रकबा 3–01 बीघा किस्म बारानी अव्वल में से मुताबिक पंजीकृत बेचाननामा खंख्या 2014002365 दिनांक 20/06/2014 के क्रेता/वादीया का खसरा संख्या 751 रकबा 3–01 बीघा में तत्कालीन खातेदार बक्शा/विक्रेता को संपूर्ण आराजी में 1/9 वां हिस्से में से 42/59 वां हिस्से का खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है तथा भू–अभिलेख से प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 का नाम उक्त क्रय किये गये हिस्से से विलोपित किया जाता है। विक्रेता बक्शा (तत्कालीन खातेदार) के उक्त 1/9 वां हिस्से में शेष रहे 17/59 वां हिस्से में प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 के नाम यथावत रहेंगे। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 को जरीये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वह वादीया के हक–हिस्से में किसी प्रकार की बेजा दखलंदाजी नहीं करें तथा न ही वादीया को अपने खातेदारी उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करें। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि भू–अभिलेख में इसी मुताबिक अमल दरामद करें। इसी कदर वाद–पत्र वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी होकर निर्णय का भाग होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.27 14:57:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर . ...–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **24/12/2021** को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक, जैतारण (पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	3.00		स्टाम्प वकालतनामा	0.00	
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प अर्जी	0.00	
स्टाम्प वजह सबूत	0.00		महनताना बकील	0.00	
महनताना वकील	0.00		खर्चा गवाहान	0.00	
खर्चा गवाहान	7.00		फीस कमीश्नर	0.00	
फीस कमीश्नर	0.00		बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00		मुत्फरिक	0.00	
मिजानः–	11.00		मिजानः–	0.00	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.27 14:57:21 IST
Reason: SelfAttested